

107 दूध नगर पंचायत पुनाव-2018

2018

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

मोहरपुर सरकार
बनाम

पसीम अंसारी को

M-53/2018 आदेश पत्रक

11/4/18

अभिलेख संख्या :- एम. 53 / 2018, धारा :- 107-द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :- 16/18

120

11/4/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- ~~को मोहरपुर 2018~~

~~समनवर्ती 2018~~

जिससे संभवना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द0 प्र0 स0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध-पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 12/4/2018 को उपस्थापित करें।

11/4/18
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

218117

द्वितीय पक्ष से विभिन्न नद विवाही सम्पत्तियों के कर्षण के दिने है। एवं द्वितीय के एक डॉट संपत्ति उपलब्ध।
(क्रम संख्यां 08) कुलेखा कुशा उपस्थित।

सूचि नगर पंचायत चुनाव 2018 शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है। तथा सभी कुलेखा कुशा के द्वारा दिए गए भावनेय को आलोक में अविद्य में शांति में न करने से विदायत देते हुए ^{निकट} वार्ड की कार्यवाही बंद की जाती है। अगली तिथि 12-03-19 को है।

1218119

द्वितीय पक्ष विभिन्न नद विवाही व भी व ⁰⁹⁻⁰³⁻¹⁹ सम्पत्तियों के कर्षण के दिने है। अगली तिथि 23-03-19 को है।

(R)
12-319

23/03/19

द्वितीय पक्ष उपस्थित। दिनांक 06/04/19 को खर्च।

06/04/19

द्वितीय पक्ष को एक सदस्य उपस्थित। सूचि पंचायत चुनाव 2018 शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है। ^{सभी} कुशा द्वारा किसी प्रकार की सूचना नहीं की गई। अतः वार्ड की कार्यवाही बंद की जाती है। ~~विवाही के द्वारा संपत्तियों के कर्षण के दिने~~

(R)
06.04.19